तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गणेशाराम बनाम लो.सू.अ.(अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जोधपुर) सू.अ.अ. संख्या 85/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गणेशाराम पुत्र मगाराम पता ग्राम भोमसागर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.04.17 में उसके द्वारा (1) कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ के पत्रांक पसशे/महात्मा गांधी नरेगस/2016–17/146 दिनांक 03.06.2016 कार्य का नाम लाखाराम के खेत से राप्रावि सुथारों की ढाणी तक ग्रेवल सड़क निर्माण की फाईल पर आपके कार्यालय से कब कब व कितनी बार आक्षेप लगे, क्या क्या आक्षेप लगे। इस कार्य से संबंधित समस्त प्रकार के आक्षेप, कब तथा क्या क्या आक्षेप लगे, विस्तृत विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा) से जरिये पत्रांक 3517 दिनांक 08.06.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि इस कार्यालय द्वारा आवेदक को पत्रांक 2148 दिनांक 16.05.17 को रजिस्टर्ड भेजकर सूचना प्राप्त करने को कहा गया लेकिन आवेदक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि आवेदक अभी भी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी के अपील के एक सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र की प्रति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बिन्दु संख्या 2 से 6 से संबंधित चाही गई सूचना स्पष्ट है इनके लिए प्रार्थी को रिकॉर्ड का अवलोकन करने के लिए क्यों उपस्थित होना है।लोक सूचना अधिकारी को प्रत्येक बिन्दु से संबंधित सूचना का अध्ययन कर परिवादी को बिन्दुवार सूचना का स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा उपलब्ध सूचना के लिए निर्धारित शुल्क बनता है उसके बारे में परिवादी को सूचित करना चाहिए परन्तु इस प्रकरण में ऐसा करना नहीं पाया गया जो अधिनियम के प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	